

अध्याय 6

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक को एकीकृत कर का प्रतिदाय

धारा 15 : भारत छोड़ने वाले पर्यटक को माल की पूर्ति पर संदत्त एकीकृत कर का प्रतिदाय

भारत छोड़ने वाले पर्यटक द्वारा भारत के बाहर उसके द्वारा ले जाए गए माल की किसी पूर्ति पर संदत्त एकीकृत कर का प्रतिदाय, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों और रक्षोपायों के अधीन, जो विहित किए जाएं, किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “पर्यटक” पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारत में सामान्यतः निवासी नहीं है, जो विधि सम्मत् गैर-अप्रवास प्रयोजनों के लिए छह मास से अनधिक रुकने के लिए भारत में प्रवेश करता है।